



रिकॉर्ड राजस्व प्र.क. / 2014

PBP 114 माननीय अध्यक्ष राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

- प्राप्ति-1107  
1. श्रीमती कौशल्याबाई पति छगन कलोता  
2. छगन पिता रामेश्वर कलोता  
3. कमलसिंह पिता रामेश्वर कलोता  
4. खेमसिंह पिता रामेश्वर कलोता

सभी निवासी - ग्राम नैनोद तह. व जिला इन्दौर

विरुद्ध

1. मेसर्स के.बी.जी. लाईफ इन्फा. प्रा.लि.  
तर्फ डायरेक्टर कविन्द्र पिता स्व. बच्चुभाई गांधी  
पता - 101, लोखण्डवाला काम्प्लेक्स,  
385, 390 गोयल नगर, इन्दौर  
2. राजेन्द्र पिता स्व. पुखराज जैन

निवासी - 20, जानकी नगर, इन्दौर

श्री अरविंद कुमार, आमदार  
द्वारा आज दि ५-५-१५ को  
प्रस्तुत

राजस्व  
वलक बॉफ ब्राउन  
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

.....प्रार्थीगण

.....प्रतिप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 29 म.प्र.भू.रा.सं.

प्राप्ति-1107  
२०.०५.१५

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 1107—पीबीआर / 14 [फॉर्मल्यावाई/डॉ. के. नी. जी. लाइफ्स] जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

5—9—2014

आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। आवेदकगण की ओर म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 29 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के न्यायालय से प्रकरण अन्य अपर आयुक्त के समक्ष स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 1 की सहमति से प्रकरण में दिनांक 22—5—2014 की तिथि नियत की गई थी, परन्तु अचानक शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्राप्त कर प्रकरण में दिनांक 12—3—2014 की तिथि नियत कर दी गई, जबकि प्रकरण में अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ था, और दिनांक 12—3—2014 को अनावेदक क्रमांक 1 के स्थगन की मांग नहीं करने के बावजूद भी स्थगन दे दिया गया। आवेदकगण को जो सूचना पत्र जारी किया गया है, उसमें यह भी लेख किया गया है कि “न लेने या न मिलने पर चर्पीदगी से निर्वाह कराया जाये।” अतः अपर आयुक्त द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया से आवेदकगण को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, इसलिए प्रकरण अन्य अपर आयुक्त को स्थानांतरित किया जाये। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण अन्य अपर आयुक्त को स्थानांतरित करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि उनके द्वारा अपर आयुक्त पर लगाये गये आरोप यह स्पष्ट नहीं करते हैं कि अपर आयुक्त द्वारा की जा रही कार्यवाही से आवेदकगण के साथ अन्याय होने की संभावना है। सामान्यतः एक पीठासीन अधिकारी से अन्य पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रकरण

तब तक स्थानांतरित नहीं करना चाहिए जब तक कि पीठासीन अधिकारी पर गंभीर आरोप प्रमाणित न हों, क्योंकि यदि सामान्य प्रक्रिया आक्षेपित करने पर प्रकरण स्थानांतरित किया गया तो, जहां पीठासीन अधिकारी को कार्य करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा वहीं पक्षकारों द्वारा अनावश्यक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जायेगा। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह प्रकरण प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है।

५६  
(स्वदीप सिंह)  
अध्यक्ष